

No. CB/INV/JPR/49/55

No. 1/1 Con/ _____
J A I P U R

September 1, 1955.

CIRCULAR No. 47 ✓

It is invariably seen that the Criminal cases where only circumstantial evidence is available against the accused, usually fail in the courts of Law as the investigating officers do not collect all the necessary pieces of circumstantial evidence.

The Principle laid down in the reported cases decided by the Supreme Court namely AIR 1952 S.E. 343 and AIR 1954 SC 621 should always be followed in the investigating and conducting the cases which entirely rests on circumstantial evidence. Amongst other points the following should be born in mind:-

- i) All the circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn, should be fully established.
- ii) All the facts so established should be consistant only with the hypothesis of the guilt of the accused.
- iii) Such circumstances should be of a conclusive nature and tendencies.
- iv) They should exclude every hypothesis excepting proving the guilt of the accused.
- v) There should be chain of evidence, so complete as not to leave any reasonable ground for a conclusion consistent with the innocence of the accused.
- vi) There should be no missing link in the facts collected so as to lead to the slightest doubt about the guilt of the accused.

The Ss.P. should explain these points thoroughly to the investigating and prosecuting officers.

The circle officers should scrutinise all investigation, specially of dacoity, murder, and embezzlement cases as these cases often fail in the court due to some lacuna which ultimately lead to the ~~Yacquittal~~ of the accused.

sd/- GOVERDHAN I.P.S.
Inspector-General of Police,
Rajasthan, J A I P U R.

Copy forwarded to:-

1. All Dy. Is.G. of Police, Rajasthan.
2. All Supdts. of Police (Including Comdts. RAC) Rajasthan.
3. Principal P.T.S. Kishangarh.
4. Zone Officer, JODHPUR.

for-Inspector-General of Police,
Rajasthan, JAIPUR.

कर्त्तव्य का है वह उन्हें उत्तराधिकारी करना।

१००००० | व्हेस्ट लैन | ४६५५५ | रुपराज ७.६.५५.

अंकुर दे .47...

जूदा दूसरा गढ़ है कि विद्युतीय तुलने में जहाँ
कालान्तर तथा इवांधियों में विरुद्ध प्रभाव है, उसका त
दुष्प्रभाव अपार्थी है बहुत बड़ा है। इसी विवरण
के लिए अवश्यक जानकारी तथा तात्परता संक्षिप्त नहीं होती है।

४० वर्षों की अवधि पर तारीख ३४३ की ५० वर्षों की १६२४ की तारीख से लेकिंग विद्यालयीन चक्र शुरू हुआ जिसका नाम तारीख के लिए लोब नाम दिया गया। इस चक्र का विद्यालय विद्यालय के नाम से जुड़ा दिया गया। इस चक्र के नाम से जुड़ा दिया गया।

१० अस्ति विद्युत् लक्षणं विद्युत् ति लक्ष्यः विद्युत् विद्युत्
विद्युत् विद्युत् विद्युत् विद्युत् ।

२० अक्टूबर १९८५ विभागीय उपर्युक्त नहीं
प्रत्यक्ष जाति का विवरण नहीं होना चाहिए।

३६. यहाँ के लोगों ने इसका प्रदर्शन किया है।

४०८ वर्षों के बाद जनकी निधि विवेक विजय हो।

५. सार्व अधिकारी के द्वारा यह किसी भी
कोर्ट के द्वारा दिल्ली के निवासी के
विवाह का एघ दे दियो होने पर उसका दिल्ली

६० ऐसे साक्षियों का वर्णन उन्होंने नहीं किया है।
वे भी यह परिस्थि तेवें हुटिया हैं तो वे लिखते हिंदा सच्च
विचारों की राय अपनी कलाकृति में लिख लाते हैं ताकि वे वार्ता म
कर सकें ही ।

६५८८ ६ अक्टूबर १९७४ वह जो इते लाइ शुभीकरण व
निर्देशानुसार ऐ परम भै तिक्का को जाहिर ।

महाराजा ने अपनी वाहिनी को ले लिया और उसका नाम
भौमतः चौमुख्य भौमतः भौमतः के लिए बदला गया। इस
वर्ष में भौमतः ने अपनी वाहिनी को ले लिया और उसका नाम
भौमतः चौमुख्य भौमतः भौमतः के लिए बदला गया।

रह जाता है वह दि खोना था अद्य उसे राह दी जाती है ।

६० छ० मुंगे शे ७० ८० रु.
दूरी ५० मिनीट १० सून

588-591

२३. वर्षा के बाद भी यह जल अपने लिए उपयोग के लिए उपलब्ध रहता है।

२० लाख ६०५० रुपये रुपयानि।

१०. वार्षिक बिना ८०% की अवैधति रखनी चाही

४.५० = पर्याप्त एवं उत्तम सिंगल ट्रैकिंग।

एक्सेस अ. फिल्म लैंडपुर्स । रेखमुख और ₹ ०.१००, १०

१८८८ अ. ३० जून तिक्तुरा ।